सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का 15 दिन में निस्तारण करें : निशांत जैन

जालोर के कलैक्ट्रेट में कलैक्टर निशांत जैन ने अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। कलैक्टर निशान्त जैन की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में जिला कलैक्टर निशान्त जैन ने सम्पर्क पोर्टल, विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिले के प्रदर्शन तथा विभागीय प्रगतिरत कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए नगरीय निकायों, पंचायती राज, विद्युत, सहकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खनन, आबकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित लंबित परिवादों को देखा तथा विभागीय अधिकारियों को पोर्टल पर लंबित परिवादों को 15 दिवस के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, मिनिस्टर्स हेल्प डेस्क, 181 व राइट टू सीएम पोर्टल के माध्यम से जिले को प्राप्त विभिन्न विभागीय परिवादों की क्रमशः समीक्षा करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के साथ ही परिवादी से बात कर निस्तारित की बात कही। जिला कलैक्टर ने त्रिस्तरीय जनसुनवाई एवं सम्पर्क समाधान व्यवस्था के तहत जनवरी माह में पचायत व उपखण्ड स्तर पर प्राप्त एवं सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किए परिवादों के निस्तारण की स्थिति देखी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि वे सम्पर्क पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा 15 दिवस के अंदर परिवाद का निस्तारण सुनिश्चित करें। साप्ताहिक बैठक में जिला कलैक्टर निशान्त जैन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए यात्रा के दौरान जनसहभागिता, यात्रा के दौरान की गई हेल्थ स्क्रीनिंग, मेरा भारत के तहत पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जारी कार्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना सहित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में प्राप्त हुए आवेदन तथा दिए गए लाभ सहित जिले की अर्जित उपलब्धि को लेकर विभागवार अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई। जैन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए जिला अस्पताल में रिक्त पदों की जानकारी ली तथा दवाईयों की उपलब्धता, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में मरीजों को मिर रहे लाभ सहित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना में जिले की प्रगति देखी।

उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न प्रगतिरत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स एवं जिले में सड़कों की स्थिति व किए जा रहे पेचवर्क को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मेजर प्रोजेक्ट्स को गुणवत्तापूर्ण तय समयसीमा में पूर्ण करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जल जीवन मिशन सहित चल रहे बड़े कार्यों एवं भीनमाल शहरी जल योजना के बारे में जानकारी लेते हुए जल जीवन मिशन में जारी किए जा रहे कनेक्शनों की समीक्षा की तथा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कृषि, पशुपालन, उद्योग, सहकारिता विभाग की समीक्षा कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शेष किसानों की ई-केवाईसी अपडेट करने को निर्देशित किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर शिवचरण मीना, प्रशिक्षु आईएएस दिव्यांश सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंवरलाल सोनी, सीएमएचओ डॉ. रमाशंकर भारती, डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता एम. के. व्यास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता जितेन्द्र त्रिवेदी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रतन बंसल, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक अशोक विश्नोई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभग उप निदेशक सुभाषचन्द्र मणि, रसद विभग की प्रवर्तन निरीक्षक नमिता नारवाल सहित कई जने उपस्थित रहे।

जे.डी.ए. ने हटाए अतिक्रमण

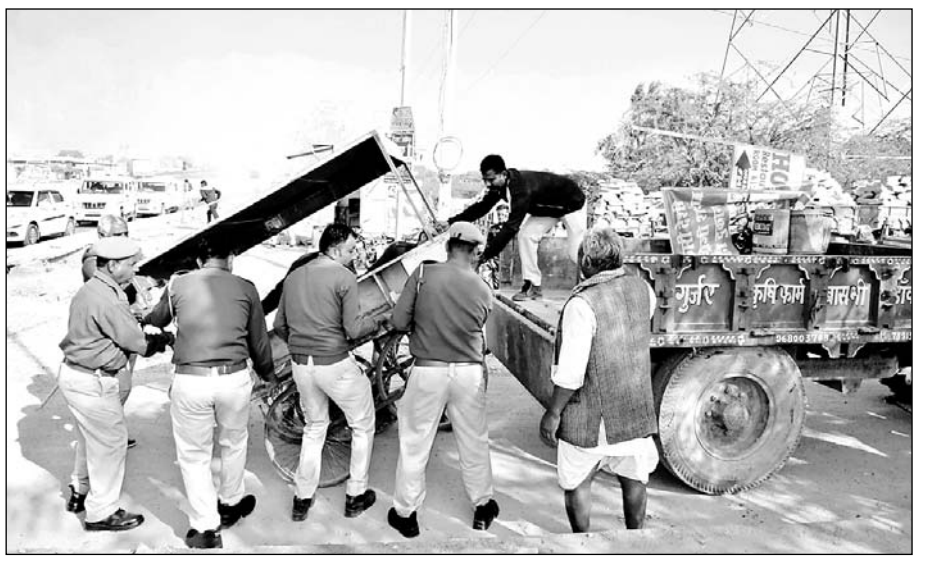

जोधपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने सड़क भाग एवं फुटपाथ पर किए अतिक्रमणों को हटाया।

जोधपुर, (कासं)। आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण उत्साह चौधरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण दस्ते ने सोमवार को शताब्दी सर्कल से सांगरिया चौराहा एवं सांगरिया चौराहा से शताब्दी सर्कल तक सडक भाग एवं फुटपाथ में किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया।

प्राधिकरण दस्ते ने नियमित रूप से अभियान जारी रखते हुए सडक मार्गाधिकार के अतिक्रमणों, अवैध निर्माणों सहित अन्य अतिक्रमणों पर सख्त कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्राधिकरण दस्ते ने शताब्दी सर्कल से सांगरिया चौराहा एवं सांगरिया चौराहा से शताब्दी सर्कल तक का मौका निरीक्षण किया।

दस्ते ने निरीक्षण करते हुए मुख्य सडक के दोनों ओर सड़क भाग व फुटपाथ में निर्मित छप्परें, साईन बोर्ड, सब्जियों की अस्थाई दुकानें, दुकानों के आगे रखा सामान, चाय स्टेण्ड, लोहे की फ्रेमें, केबिन, तिरपाल, ढेला इत्यादि से अनाधिकृत रूप से किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। दस्ते ने एक ट्रैक्टर सामान जब्त किया जाकर सड़क मार्गाधिकार को अतिक्रमण मुक्त कर आवागमन के लिए सुचारू किया गया। दस्ते ने उपस्थित दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गयी कि सडक मार्ग में किसी प्रकार से पुनः अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण नहीं करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। उक्त कार्यवाही पुलिस निरीक्षक दक्षिण जोगेन्द्रसिंह चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक पश्चिम अनिल शर्मा मय अतिक्रमण दस्ते ने की।

स्टेट वाइड फुटबॉल टूर्नामेंट एफ.सी. मंडोर ने जीता

जोधपुर में पूर्व महाराजा गज सिंह व हेमलता राज्ये ने विजेता टीम को ट्रॉफी व पुरस्कार प्रदान किये।

जोधपुर, (का.सं.)। श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में महाराजा हनवन्त सिंह जन्म शताब्दी पर आयोजित स्टेट वाइड फुटबॉल टूर्नामेंट में एफ.सी. मंडोर क्लब ने फाइनल मुकाबला जीता।

सेंट्रल एकेडमी के निदेशक अंकुर मिश्रा ने बताया कि ब्रिगेडियर जबर सिंह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में टूर्नामेंट आयोजित हुआ। फाइनल में एफ सी मंडोर क्लब व मारवाड़ क्लब डी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें एफ सी मंडोर क्लब ने बेहतर खेलते हुए 7 - 6 से फाइनल मैच जीतकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व महाराजा गज सिंह व पूर्व महारानी हेमलता राज्ये ने विजेता टीम को विजेता ट्रॉफी व 31 हजार का चेक व उपविजेता टीम को 21 हजार कि राशि का चेक व उपविजेता ट्रॉफी प्रदान की। खिलाड़ी युग को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। ब्रिगेडियर जबर सिंह सीनियर सैकेंडरी पब्लिक स्कूल की निदेशक पल्लवी मिश्रा व अंकुर मिश्रा ने आभार व्यक्त किया व मुख्य अतिथि गज सिंह व हेमलता राज्ये को स्मृति चिन्ह प्रदान किये। चौपासनी शिक्षा समिति के सचिव छोटू सिंह बुचेटी, निदेशक (प्रशासन) प्रो भूपेंद्र सिंह राठौड़, बीजेएस एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव श्यामसुंदर सिंह डॉवरा, डॉ राम सिंह मेड़तिया व महेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे।

मजदूर कांग्रेस की कार्यसमिति

पिण्डवाड़ा, (निसं)। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस-राजस्थान की बैठक नाथद्वारा सीमेन्ट लि. के गेट पर हुई।

मुख्य संरक्षक जगदीश श्रीमाली, सलाहकार सामीराराम, सह सलाहकार मोहम्मद फारूक, अध्यक्ष रतन सिंह देवडा, महामंत्री राजेन्द्र मेवाडा, उपाध्यक्ष धन्नाराम, नरसाराम,, सह कोषाध्यक्ष जीवन सिंह देवडा, सह कोषाध्यक्ष प्रभूराम, मंत्री लादू सिंह, राम सिंह, संयुक्त मंत्री रमेश रावल, संगठन मंत्री चेलाराम, मोहनलाल,, राम गोपाल, प्रसार मंत्री, खेताराम, कार्यालय मंत्री इन्द्र देवडा, सत्यनारायण सदस्य सुरेन्द्र देवडा, रमेश माली, कूसाराम, सज्जन देवडा, मान सिंह, सागर सिंह, जब्बर सिंह, नेतीराम गरासिया, राकेष माली व कमलेष रावल को चुना।

जे.डी.ए. में नीलामी कार्यक्रम 19 से

- आवासीय, व्यावसायिक एवं मल्टीस्टोरी रहवासीय के 212 भूखण्डों की होगी नीलामी

जोधपुर, (कासं)। आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण उत्साह चौधरी के निर्देशन में प्राधिकरण की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के भूखण्डों की ई-नीलामी कार्यक्रम माह फरवरी-मई 2024 जारी किया जा रहा हैं।

प्राधिकरण की ई-नीलामी कार्यक्रम अनुसार 19 फरवरी से 06 मई तक प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के आवासीय व व्यावसायिक, मल्टीस्टोरी रहवासीय के कुल 212 भूखण्डों की नीलामी की जाएगी।

प्रभारी अधिकारी नीलामी शाखा संदीप सान्दू ने बताया कि आवेदकों द्वारा सोमवार से विभिन्न योजनाओं के भूखण्डां को क्रय करने के लिए नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाने के साथ-साथ ऑनलाईन बिड लगाते हुए ई-नीलामी में भाग लिया जा सकता है। ई-नीलामी कार्यक्रम में जेडीए द्वारा व्यावसायिक खसरा नं. 701 ग्राम चौखा के 7 व्यावसायिक भूखण्ड, परिवहन नगर आंगणवा/ ट्रांसपोर्ट/ऑटोमोबाईल नगर योजना के 3 व्यावसायिक भूखण्ड, खसरा संख्या 269 कुडी भगतासनी मुख्य पाली रोड के 2 व्यावसायिक भूखण्डों की ई-नीलामी की जाएगी।

इसी प्रकार प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी विवेक विहार योजना के 75 आवासीय व व्यावसायिक भूखण्ड, राजीव गांधी नगर चौखा आवासीय योजना के 33 भूखण्ड, राजीव गांधी नगर चौखा के 04 मल्टीस्टोरी रहवासीय भूखण्ड, मण्डलनाथ आवास योजना के 15 भूखण्ड, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विहार आवासीय योजना के 39 भूखण्ड, सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के 3 भूखण्ड एवं सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना शिफ्टिंग के 1 भूखण्ड, गंगा विहार योजना के 5 भूखण्ड, अरणा विहार योजना के 5 भूखण्ड, झरणा विहार योजना के 8 भूखण्ड, आनन्द विहार योजना के 10 भूखण्ड, मण्डोर एफएसएल खसरा नं. 388 ग्राम मण्डोर आवासीय योजना के 2 भूखण्ड सहित कुल 212 भूखण्डों को ई-नीलामी के जरिये विक्रय किया जाएगा।

निदेशक वित्त जेडीए दशरथ कुमार सोलंकी ने बताया कि आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण उत्साह चौधरी के कुशल नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशों में प्राधिकरण की आय के स्त्रोत बढाने, बजट प्राप्तियों एवं राजस्व अर्जन के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। आयुक्त द्वारा प्राधिकरण की नियमित रूप से बैठक करते हुए उपायुक्तगण को नवीन आवासीय व व्यावसायिक योजनाओं के लिए भूमि व नीलामी योग्य भूखण्डों एवं भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश प्रदान किए गए है। ऑनलाईन बिड लगाने की अन्तिम तिथि योजनावार विभिन्न भूखण्डों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।

कार में मिला 390 ग्राम अफीम का दूध

जोधपुर, (कासं)। रूकड़ली गांव की सरहद में नाकाबंदी के दौरान एक कार तेजगति से निकली तो पुलिस को शक हुआ। इस पर पुलिस ने कार का पीछा किया। कार में सवार लोग गाड़ी को तेजी से भगाने के बाद उसे सूने स्थान पर छोडक़र भाग गए। पीछा करते मौके पर पहुंची पुलिस को कार की तलाशी में 390 ग्राम अफीम का दूध मिला।

थानाधिकारी मनोज परिहार ने बताया कि रात को पुलिस की तरफ से नाकाबंदी की गई। तब रूडक़ली गांव की सरहद में नाकाबंदी में एक कार को रूकने का इशारा किय गया। इस पर उसमें सवार व्यक्ति कार को भगा ले गया। जिस पर कार का पीछा किया। कार में सवार लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।

समस्याओं का समाधान मांगा

गुड़ामालानी, (निसं)। गुड़ामालानी पंचायत समिति सभागार में सोमवार को साधारण सभा का आयोजन हुआ।

उपखंड अधिकारी रामजी भाई कलबी, तहसीलदार विकास कुमार सारण, प्रधान बिजलाराम चौहान, विकास अधिकारी हरमनराम बिश्नोई, जिला परिषद सदस्य नरपतराज मुड, देवाराम चौधरी, सहायक विकास अधिकारी आईदानराम सिधप के निर्देशन में हुई।

साधारण सभा में ग्राम पंचायतों में बने आरओ प्लांट खराब पड़े हैं। गुड़ामालानी से जालोर जाने वाले सड़क मार्ग के बीच रतनपुरा पर बना पुल बनने से पहले दो बार पुल के बीच में गड्ढे पड़ गये। जिसको लेकर पुल पर आवागमन बंद कर दिया। अवागमन करने वाले वाहन चालकों पुल के निचे बना रास्ता सही नहीं होने के साथ भारी परेशानी के साथ वाहनों को निकलना पड़ता है। ऐसे आवागमन करने वाले जनप्रतिनिधियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आडे हाथों लिया। कांतिलाल सोनी ने महाविद्यालय में 22 पद स्वीकृत हैं जिसमें एक पद को छोड़कर 21 रिक्त पड़े है। जिसको लेकर अधिकारियों को अवगत कराया। बिन मौसम बारिश के दौरान किसानों के खेतों में खराब हुई फसलों को लेकर किसानों ने पंचायत समिति पहुंच कर भरी रोष के साथ उपखंड अधिकारी को अवगत करवाने के साथ कार्रवाई करने की मांग की। बताया कि 7 दिनों के भीतर किसानों को राहत नहीं मिली तो उग्र आन्दोलन होगा।

हैड कांस्टेबल को सौ मीटर घसीटा टैक्सी चालक ने

- ई-डीवाइस मशीन टूटी, हैड कांस्टेबल घायल

जोधपुर, (कासं)। पावटा चौराहा पर सुबह ड्यूटी पर तैनात हैडकांस्टेबल को एक पैसेंजर टैक्सी चालक ने सौ मीटर तक घसीटने के साथ एक बाइक को टक्कर मार दी। इससे हैडकांस्टेबल घायल हो गया। नीचे गिरने से ईडीवाइस मशीन भी टूट गई। पैसेंजर टैक्सी चालक के खिलाफ इस बाबत उदयमंदिर थाने में रिपोर्ट दी गई है। यातायात शाखा के हैडकांस्टेबल जलेसिंह की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसकी ड्यूटी रविवार को पावटा चौराहा पर थी। उसके साथ में महिला कांस्टेबल बिमली, मेनका और होमगार्ड कर्मी जयसिंह ड्यूटी पर थे। तब वहां चौराहा के पास में एक पैसेंजर टैक्सी चालक ने अपनी गाड़ी को नो पार्किंग में खड़ा कर रखा था। जिस पर उसे गाड़ी हटाने को कहा तो वह बदतमीजी पर उतर आया। इस पर उसका एमवी एक्ट में चालान बनाने की बात कहकर टैक्सी को साइड में लगाने को कहा। तब वह टैक्सी को साइड में करने के बजाया अचानक से टैक्सी तेज से चलाते हुए उस पर चढ़ाने का प्रयास किया। इस पर हैडकांस्टेबल जलेसिंह ने टैक्सी के पाइप को पकड़ लिया। इसके बाद भी टैक्सी चालक ने गाड़ी को रोका नहीं। सौ मीटर तक उसे घसीट ले गया और एक बाइक को टक्कर मार दी। इससे हैडकांस्टेबल जले सिंह नीचे गिर गया और घायल हो गया। नीचे गिरने से ई-डीवाइस मशीन भी टूट गई। बाद में ड्यूटी पर कार्यरत महिला कांस्टेबलों और होमगार्ड ने संभाला। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई। उदयमंदिर थाने में राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है।

प्रधानमंत्री ने प्रचुरता के साथ कार्य करने की नई परिभाषा गढ़ी : शेखावत

- बी.एस.एफ. फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर में रोजगार मेले का शुभारंभ

जोधपुर, (कासं)। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आजादी के बाद से जिन सरकारों ने निरंतर अभावों, प्रतिकूलताओं और संसाधनों की कमी का रोना रोया, उसके उलट पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रचूरता के साथ काम करते हुए काम करने की एक नई परिभाषा गढ़ने का काम किया।

बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संभावनाओं, अवसरों, संसाधनों और युवा ताकत के साथ आजादी के 75 साल तक देश को जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था, देश उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि पिछली सरकारें उन अवसरों पर काम नहीं कर पाईं। देश की आजादी में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्होंने इस देश को आजादी क्यों दिलानी थी? इस विजन को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया था, लेकिन पिछली सरकारों के कार्यकाल में उस अनुरूप काम नहीं हो पाया, लेकिन इस अमृतकाल के दौर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम किया जा रहा है। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक साल पहले संकल्प लिया था कि विभिन्न संस्थानों, विभागों में कुल सृजित 30 लाख पदों में से जो 10 लाख यानी 33 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से भरा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले 10 साल में 22 हजार 50 करोड़ की धनराशि का लोन दिया गया है, जिसके माध्यम से 70 प्रतिशत से नए स्टार्टअप शुरू किए गए, जिनमें 67 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि 60 प्रतिशत पिछड़े लोग शामिल हैं। वर्ष 2014 में जहां केवल 200-300 स्टार्टअप ही हुआ करते थे, आज इनमें 200-300 गुना बढ़ोतरी हो गई है और अभी देश में एक लाख से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। भारत दुनिया में स्टार्टअप वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिनके 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 120 से ज्यादा स्टार्टअप का मार्केट वैल्यू 8 हजार 500 करोड़ से अधिक का है, अपने आप में अभूतपूर्व है।

शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री न केवल युवाओं को रोजगार देने को लेकर काम कर रहे हैं, बल्कि उनका कौशल विकास किस तरह किया जाए। इस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदीजी के नेतृत्व में देश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जहां पिछली सरकारों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही थी, वहीं मोदीजी के नेतृत्व पिछले पांच वर्षों में इंग्लैंड को पिछाड़ते हुए भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदीजी के नेतृत्व में शिक्षा और सुस्वास्थ्य जगत को बढ़ावा देने के लिए भी बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान 3000 हजार से अधिक नए आईटी, 7 आईआईटीज, 16 आईआईआईटीज बने, 7 नए एम्स और 390 नए विश्वविद्यालय बने हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को शिक्षा हासिल करने के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म मिल सके।

पाली में जय कुमार महाराज का स्वागत

पाली, (नि.सं.)। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक पारिषद संभाग प्रमुख रोशन नाहर ने बताया कि "युगप्रधान" आचार्य महाश्रमण के सुशिष्य मुनि जय कुमार ठाणा-3 रविवार प्रातः रूपावास से लगभग 16 का विहार करके पाली पहुंचे।

विहार सेवा में पाली तेरापंथ युवक पारिषद से रितेश संखलेचा, प्रमोद भंसाली एवं रोशन नाहर मुनि जय कुमार के विहार साथ रहे।

मुनि सुमति कुमार ठाणा-3 एवं मुनि जय कुमार ठाणा-3 का आध्यात्मिक मिलन आचार्य श्री तुलसी सर्कल मंडिया रोड पर हुआ। मुनि सुमति कुमार ने भी विहार कर मुनि जय कुमार का पाली में स्वागत किया। मुनि का मंगल उद्बोधन मरूद्यर केशरी भवन महावीर नगर में हुआ।

महासभा सदस्य गौतमचंदजी छाजेर, सभा अध्यक्ष सुरेंद्र सालेचा, मंत्री जीतमल पटावरी, अध्यक्ष सुरेश सेठिया, मंत्री पीयूष चोपड़ा, महिला मण्डल अध्यक्ष सुषमा डागा, सज्जनराज बांठिया, सूरजमल बेगानी उपस्थित रहे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
IDFC FIRST Bank
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.04.2021 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. कैलाश ब्रदर्स, 2. जयंती लखानी, 3. दिनेश लखानी को जारी किया गया था, जिसमें 08.04.2021 को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशी रूपये 69,18,686.63/- (रूपये उन्हत्तर लाख अठारह हजार छः सौ छियासी पैसे तिरेसठ मात्र) का भुगतान नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज फरवरी 2024 के 9वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशी रूपये 69,18,686.63/- (रूपये उन्हत्तर लाख अठारह हजार छः सौ छियासी पैसे तिरेसठ मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्लाथ मार्केट, नीमज की हवेली, जिला जोधपुर स्थित वाणिज्यिक संपत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 1950 वर्ग मीटर है का पूरा व प्रत्येक भाग, जिसकी सीमाएं हैं- उत्तर-रोड 15 फीट चौडी, दक्षिण-नीमल की हवेली, पूर्व-मै. सिमरतमल जी की दुकान, पश्चिम-मोहनलाल की दुकान

दिनांक- 9 फरवरी 2024
स्थान- जोधपुर
ऋण खाता संख्या- 11394111, 2742094 व 2686355

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
IDFC FIRST Bank
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वग्रीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	44917000	सम्पत्ति पर ऋण	1. श्री चेतन अनूप चन्द 2. श्री अनूप चन्द 3. श्रीमती प्रेम अनूप चन्द	13.01.2024	12,75,675.53/-	पट्टा नं.12, मिसल नं.33/95-96, क्षेत्रफल 958.30 वर्ग फिट, भंवर, दरवाजे के बाहर, रैगरान मोहल्ला, ग्राम-चन्दवाल नगर, तहसील-सोजत, जिला-पाली, राजस्थान-306306 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमाये है- पूर्व-आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम-भदरवा का जाव, उत्तर-हरीराम पुत्र मंगल राम जी रैगर का मकान, दक्षिण-गोपू राम पुत्र धन्नाराम जी रैगर का मकान
2	100230010	सम्पत्ति पर ऋण	1. मोहम्मद जाहिद शाह 2. इकबाल शाह	27.01.2024	6,35,388.15/-	मकान नं.354, पट्टा नं.696, क्षेत्रफल 68.31 वर्गमीटर, बडे मीनारों की मस्जिद, सोजत सिटी, तहसील-सोजत, जिला-पाली, राजस्थान-306104 का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमायें है- पूर्व - मेहबूब तेली का मकान, पश्चिम-कयूम जी का मकान, उत्तर-रास्ता (गली), दक्षिण-नसरूद्दीन/शमशुद्दीन का मकान

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 13.02.2024
स्थान- पाली
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)